

[भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) मेंप्रकाशनार्थ]

भारतसरकार

वित्तमंत्रालय

(राजस्वविभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 21/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 06.03.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित केद्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतदद्वारा अधिसूचना सं. 128/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 25.10.2016, का.आ. (अ) 3303 दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.11 के स्तंभ सं.6 में मौजूद शब्दों को "प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (II), कस्टम हाउस, चेन्नई" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-13/2020]

(पारस मल सांखला)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नई को उनके पत्र फा सं. VIII/26/414/2007 दिनांक 12.02.2020 के संदर्भ में और इस अनुरोध के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.08.2009 के नोटिसी को समान न्याय निर्णयन अधिकारी के बदलने के विषय में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (II), 60, राजाजी सलाई, कस्टम हाउस, चेन्नई-600001 को केस के न्याय निर्णयन हेतु